मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र0 1593/आर 1703/2011/ब–1/चार, भोपाल, दिनांक 23/12/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0।

विषयः आयोजना मद की योजनाओं तथा परियोजनाओं के फार्मुलेशन परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु व्यवस्था।

संदर्भः–विभागीय परिपत्र क्रमांक 81/आर–1703/चार/ब–1/2011,दिनांक 18.01.2012

–::::–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र की निरंतरता में लेख है कि आयोजना मद की योजनाओं के अनुमोदन एवं फॉमुलेशन के लिए संदिर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश प्रसारित किये हैं । इस निर्देश के अनुसार किसी भी परियोजना के अनुमोदन हेतु परिपत्र के साथ संलग्न दो परिशिष्टों में विवरण तैयार कर सक्षम समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । इस प्रतिवेदन में योजना से संबंधित समस्त अवयवों को शामिल कर योजना का सम्पूर्ण परियोजना लागत राशि निर्धारित की जाती है एवं इसी आधार पर संबंधित समिति से योजना का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । देखा गया है कि कुछ विभाग एक ही योजना के दो प्रस्ताव बनाकर पद निर्माण के प्रस्ताव पृथक कर इसे परियोजना परीक्षण समिति के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं तथा शेष प्रस्ताव स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है । यह प्रक्रिया योजना फॉमुलेशन के लिए जारी निर्देश की मूल भावना के विपरीत है । परियोजना के संपूर्ण आवर्ती एवं अनावर्ती वित्तीय भार का आंकलन कर निर्णय लिया जाना चाहिए ।

अतः सभी विभागों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी योजना में पद निर्माण की स्थिति निर्मित हो तो योजना के समस्त घटकों का संपूर्ण आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के अनुरूप विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार कर वित्त विभाग के अभिमत के साथ परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

(डॉ.नवनीत मोहन कोठारी)
संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क्र0 1494/आर 1703/चार/ब–1/2011,   भोपाल, दिनांक 23/12/2015

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
4. सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन म0प्र0।
12. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश।
14. सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग